न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सुनिता देवी .... बनाम .... तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा .... 136LR .... मु.नं. 79 .... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./26/998 दिनांक 25.03.2026 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी द्वारा किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम पालवास पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 276 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि संगीतादेवी पत्नी ताराचन्द दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि सुनिता देवी पत्नी ताराचन्द है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि सुनिता देवी पत्नी ताराचन्द अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि संगीतादेवी पत्नी ताराचन्द के स्थान पर उक्त प्रविष्टि सुनिता देवी पत्नी ताराचन्द दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./26/998 दिनांक 25.03.2026 से प्राप्त उक्त रिपोर्ट व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम पालवास पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 276 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि संगीतादेवी पत्नी ताराचन्द के स्थान पर उक्त प्रविष्टि सुनिता देवी पत्नी ताराचन्द दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./26/998 दिनांक 25.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर (राज.)